राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांकः प.3(313)नविवि/3/2011 जयपुर, दिनांक

स्पष्टीकरण

इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 24.02.2020, अपंजीकृत लीज डीड/पट्टों के पुनर्वेध के मामलों में समस्त स्थानीय निकायों, नगर विकास न्यासों/विकास प्राधिकरणों के लिए एक समान प्रक्रिया लागू करने तथा नियमों के शीघ्र निस्तारण करने के उद्देश्य से जारी किया गया।

उक्त आदेश दिनांक 24.02.2020 के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि 03 वर्ष की अवधि से अधिक के अपंजीकृत एवं Duly Stamped पट्टे को निरस्त कर उसके स्थान पर नया पट्टा जारी किया जा सकेगा, जिसमें मूल पट्टा निरस्त करने का नोट मय कारण अंकित किया जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)
शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ /आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. आयुक्त/सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास, राजस्थान।
10. सहा0 निदेशक, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

Signature valid
Digitally signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy Secretary to Government
Date: 2025.06.04 15:14:00 IST
Reason: Approved

शासन उप सचिव–प्रथम

RajKaj Ref No.: 15624656